कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिको की परिवेदना निस्तारण/स्थानान्तरण उपरान्त उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापन किया जाता है:–

S. N	NAME OF EMPLOYEE	EMPLOYE ID	POST	PRESENT POSTING PLACE		New Posting Place		
				Name of School/Office	District	Name of School/Office	DISTRICT	REMARK
1	SUNIL KUMAR TANWAR	RJJP1993 18017672	Administrative Officer	APO OFFICE OF JOINT DIRECTOR SCHOOL EDUCATION, JAIPUR	JAIPUR	Office of District Education Officer (Head quarters) Elementary Education, Shri Ganganagar	GANGANAGAR	
2	DINESH KUMAR SWAMI	RJBI1990 09005486	Establishment Officer	APO OFFICE OF JOINT DIRECTOR SCHOOL EDUCATION, JAIPUR	JAIPUR	Office of Directorate Secondary Education, Rajasthan, Bikaner	BIKANER	
3	KISHAN SHARMA	RJBW2020 08019647	Senior Assistant	SHARDUL GGSSS KRISHNAPURI MADANGANJ-KISHANGARH (214174)	AJMER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DEVGAON (218724)	JAIPUR	
4	MAHESH KUMAR GURJAR	RJCT2020 11018840	Senior Assistant	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAILWAY TRAINING UDAIPUR (223298)	UDAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALAWALA (218666)	JAIPUR	
5	MAMTA CHOUDHARY	RJKO2020 27017226	Senior Assistant	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHAIRABAD (216671)	KOTA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HADOTA (218427)	JAIPUR	

संबंधित नियत्रंण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि–

1. उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परिवीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
2. राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

3. TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में एवं NTSP से TSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
4. **उपर्युक्त सभी कार्मिकों को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान से तत्काल कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण काल/अवकाश का उपयोग किये बिना तुरन्त प्रभाव से नवीन पदस्थापन स्थान पर शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त आदेश की पालना करवाया जाना सुनिश्चत करावें। उक्त आदेश की पालना के अभाव में सम्बन्धित अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।**
5. स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं है। स्वेच्छा से स्थानान्तरण हुए कार्मिक से कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना है कि मेरा स्थानान्तरण स्वेच्छा से हुआ है एवं मैं इस हेतु नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता की मांग नहीं करूंगा।
6. स्थानान्तरित कार्मिक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय स्वैच्छा से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ–पत्र लिया जाकर ही वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र–6 जारी कर) की कार्यवाही की जावें।
7. माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
8. स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
9. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में चयनित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि अन्यत्र जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में होता है, तो उक्त कार्मिक की वरिष्ठता का संधारण कार्मिक के मूल पदस्थापन जिले में ही किया जायेगा।
10. सूची में यदि ऐसे कार्मिक हैं जिनकी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति हो चुकी है, उनके संबंध में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। उक्त कार्मिकों के संबंध में अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत करवाएं।

(ललित कुमार)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

क्रमांकः– Shivira/Sec/Gad/A-2/3/B-1/Transfer-parivedna/2026/59318 दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
04. स्टॉफ ऑफिसर निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
05. पंजियक शिक्षा विभागीय परिक्षाएं राजस्थान, बीकानेर
06. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा संभाग/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा।
07. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/समस्त संस्थाप्रधान/कार्यालध्यक्ष/संबंधित प्रधानाचार्य, डाईट को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावें।
08 सिस्टम ऐनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभगीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09 रक्षित पत्रावली।

19.8.26
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राज0
बीकानेर